



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 8316 वर्ष 2025

राकेश

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:	:	सुक्रमपाल, टिकेन्द्र प्रताप सिंह
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता:	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री टिकेन्द्र प्रताप सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री एस.के. राय को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे केस अपराध संख्या 732/2023 में, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 और 22 के अंतर्गत, पुलिस थाना- कोतवाली, जिला- मथुरा में ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक के कब्जे से 140 ग्राम अलप्राज़ोलम पाउडर बरामद होने का आरोप है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि चूंकि इस बरामदगी का समर्थन किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इस अपराध में उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अगला तर्क यह दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। इसमें कोई रासायनिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विश्लेषक की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक पूर्णतः

निर्दोष है और उसे अनावश्यक रूप से परेशान करने तथा उसे पीड़ित बनाने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का तीन आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है, और वह दिनांक 05.11.2023 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने... आवेदक की जमानत की अर्जी का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की बेगुनाही का फैसला मुकदमे से पहले की अवस्था में नहीं किया जा सकता; आवेदक प्रतिबंधित सामान की सप्लाई करने में शामिल है, इसलिए आवेदक किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाएगा।

कानून की यह एक स्थापित स्थिति है कि जमानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। *स्टेट ऑफ़ राजस्थान बनाम बालचंद @ बलियाय (1977) 4 एससीसी 308* के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि जमानत देने से इनकार करना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है। न्यायालय ने पैरा 2 में यह राय व्यक्त की थी कि, "मूल नियम को शायद संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'जमानत, न कि जेल'; सिवाय उन परिस्थितियों के, जहाँ याचिकाकर्ता (जो न्यायालय से जमानत पर रिहाई चाहता है) द्वारा न्याय से भागने, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने, या अपराधों को दोहराने अथवा गवाहों को डराने-धमकाने जैसी अन्य समस्याएँ उत्पन्न करने के संकेत मिलते हों। हमारा उद्देश्य इस सूची को पूर्ण बनाना नहीं है, बल्कि केवल उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना है।" मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, और *गुडीकांति नरसिम्हुलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एआईआर 1978 एससी 429* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए; साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, आरोपों की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकृति, उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में मिलने वाले दंड की गंभीरता, आरोपी-आवेदक के चरित्र, आरोपी से जुड़ी विशिष्ट परिस्थितियाँ, विचारण के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित होने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए— किंतु मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मेरा यह मत है कि यह ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त वर्णित अपराध-मामले में संलिप्त आरोपी-आवेदक **राकेश** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक, अन्वेषण (जाँच) अथवा विचारण के दौरान, गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक, विचारण की प्रक्रिया में बिना किसी स्थगन की माँग किए, पूरी ईमानदारी के साथ सहयोग करेगा।
- 3 ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा। बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पहले, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14 जनवरी, 2026
श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।